03.03.2025

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2025 (फाल्गुन 13,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :–

(i) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

(ii) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का साठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 (दिनांक 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024),

(iii) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023–2024,

(iv) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 (1जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024)

(v) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,बिलासपुर का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 तथा

(vi) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़, का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 (दिनांक 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, नगर पालिक निगम दुर्ग में निर्मित व्यावसायिक परिसरों का आवंटन नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जिला बस्तर अंतर्गत कोसारटेडा डेम के निर्माण से प्रभावित किसानों को 5 एकड़ भूमि/आवासीय प्लाट एवं नौकरी नहीं दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. चरणदास महंत, सभापति, लोक लेखा समिति का प्रथम से सत्ताइसवां तक 27 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 2

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम झोला से ईरा पहुंच मार्ग में शिवनाथ नदी पर नवीन पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम मालूद में पूछा सरार पुलिया का मजबूतीकरण एवं जीर्णोद्धार करने,

(iii) ग्राम खोपली के पूर्व माध्यमिक शाला हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम तिलईखार से पथराटोला तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) टाटेकसा से कनेरी के मध्य नदी पर पुल–पुलिया निर्माण करने,

(3) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, जिला मुंगेली अंतर्गत नगर पंचायत बरेला में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

(4) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, पाली तानाखार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगमडु से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 170 तक सड़क निर्माण करने,

(5) श्री जनक ध्रुव, सदस्य, बिन्द्रानवागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम गिरसूल से गंगराजपुर मार्ग पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम मातरबाहरा के पटकर नाले पर पुल निर्माण करने,

(6) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) बस्तर–चोकर–कुड़कानार से भाटागुड़ा तक सड़क चौड़ीकरण करने,

(ii) ग्राम जैबेल से तेंदुबहार तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम बागमोहलई–2 से तालुर तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(iv) ग्राम तालुर से बागमोहलई–2 मार्ग में बोरिया नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(v) ग्राम जैतगिरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(vi) ग्राम दुबेउमरगांव में मंगल भवन निर्माण करने,

(vii) विकासखण्ड मुख्यालय बकावण्ड में कन्या महाविद्यालय खोलने,

(viii) ग्राम बागमोहलई–2 में प्री मैट्रिक बालिका छात्रावास खोलने,

(ix) शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड में बालक एवं बालिका आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने,

(7) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम परसदा में प्राथमिक शाला खोलने,

(ii) ग्राम धुठिया से मदवानी तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(8) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, जिला बालोद अंतर्गत –

(i) ग्राम खेरथाबाजार में प्री मैट्रिक कन्या आदिवासी छात्रावास को पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में उन्नयन करने,

(ii) ग्राम भीमाटोला के तान्दुला नाले पर उच्च स्तरीय पुल–पुलिया निर्माण करने,

(iii) ग्राम आमाबाहरा में स्टापडेम लाईनिंग एवं गहरीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने तथा

(iv) ग्राम बिटाल से धोबेदण्ड तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 3

6. लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये नौ–नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3), नियम 223 के उप नियम (2), नियम 223–ख के उप नियम (1) तथा 223–ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ–नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये नौ सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"'सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम– 234– ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अवधि हेतु अपने में से नौ सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन–तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

8. वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 03 मार्च, 2025